BIADA
BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in , Email- biada-bih@gov.in Phone: 0612-2675998 & 2675991

सकारण आदेश

संचिका सं०–436027 निविदा सं०:–03/BIADA/25-26 (Gr.-2) दिनांक 25.04.2025

औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर के प्लग एंड प्ले शेड (फेज–10, 11 एवं 12) के कैंपस के Drainage, Rain Water harvesting & Tubewell निर्माण कार्य हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में कार्य की निविदा NIT–03/BIADA/2025-2026 (Gr.-2), दिनांक–25.04.2025 के माध्यम से की गई। निविदा में सम्मिलित एक निविदादाता/संवेदक Priyaranjan, S/o Indra Bhushan Prasad, Vill+Post-Guramiya, P.S.-Kartaha, Dist.-Vaishali-844117 द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर को भेजी गयी थी, जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया कि कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र इस कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है। इस अवधि में निविदादाता द्वारा दिनांक 13.06.2025 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि निजी कारणों से निविदा से अपना नाम वापस ले रहे हैं।

इस संबंध में निविदादाता Priyaranjan से बियाडा के पत्रांक 2677/Tech दिनांक 01.07.2025 एवं पत्रांक 3395/Tech दिनांक 20.08.2025 के माध्यम से मन्तव्य हेतु पत्राचार किया गया, जिसके आलोक में संवेदक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि "जो व्यक्ति मेरा निविदा अपलोड करता है उसके द्वारा गलती से दूसरा अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा के साथ समर्पित कर दिया गया था।" निविदादाता ने यह भी लिखा है कि "जैसे ही मुझे जानकारी हुआ मैने उसी समय दिनांक 13.06.2025 को अपना नाम वापस ले लिया।"

उपर्युक्त तथ्यों के सम्यक परीक्षण के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि निविदादाता Priyaranjan द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है। साथ ही, निविदा प्रक्रिया के दौरान जाली/भ्रामक कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर प्राधिकार को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, जो निविदा आमंत्रण सूचना के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका 13 (ङ) में निहित प्रावधानों के अनुसार, गलत/भ्रामक सूचना अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में प्राधिकार को दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार निहित है।

अतः निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका 13 (ङ) में निहित प्रावधानों के अनुसार, गलत/भ्रामक सूचना अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के आलोक में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निविदादाता/संवेदक Priyaranjan, S/o Indra Bhushan Prasad, Vill+Post-Guramiya, P.S.-Kartaha, Dist.-Vaishali-844117 द्वारा निविदा में जमा की गई अग्रधन (EMD) राशि जब्त करते हुए बियाडा अंतर्गत आगामी निविदाओं में भाग लेने से एक वर्ष की अवधि तक वंचित (Debar) किया जाता है।

प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक, बियाडा का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
उपमहाप्रबंधक, तकनीकी (नॉर्थ)
बियाडा पटना।

ज्ञापांक........................ दिनांक.................................

प्रतिलिपि – Priyaranjan, S/o Indra Bhushan Prasad, Vill+Post-Guramiya, P.S.-Kartaha, Dist.-Vaishali-844117 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उपमहाप्रबंधक, तकनीकी (नॉर्थ)
बियाडा, पटना

ज्ञापांक 1710/Tech दिनांक 28/04/26

प्रतिलिपि – आई0टी0 शाखा, बियाडा, पटना को बियाडा के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/04/26

उपमहाप्रबंधक, तकनीकी (नॉर्थ)
बियाडा, पटना